Calcutta are very much agitated due to non-payment of interim relief even after the assurance given by the Government; and

(b) if so, when the Government is going to fulfil the assurance?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under active consideration of the India Tourism Development Corporation Wage Review Committee set up by Government.

घड़ियों के केसों के आयात पर रोक

3882. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के राजकोट सिटी के राजकोट वाच केस मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली को 29 अप्रैल, 1978 को एक 9-सूत्री अभ्यावेदन भेजा है जिसमें घड़ी के केसों के आयात पर रोक लगाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है; और

(ग) उक्त एसोसिएशन की मांगें कब तक मानी जायेंगी और उनके अब तक न माने जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । इसने हाथ की घड़ियों के केसों के आयात पर रोक लगाने की मांग की थी ।

(ख) और (ग). दिये गये मुख्य प्वाइंट ये हैं :—

(1) राजकोट के छोटे उद्यमी हाथ की घड़ियों के केसों का विनिर्माण विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(2) लघु क्षेत्र के लगभग 80 ऐसे एकक हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 50 लाख केस प्रति वर्ष है, तथा

(3) उदार आयात नीति तथा इस मद पर लगने वाले कस्टम शुल्क में कमी करने के परिणामस्वरूप ये एकक बंद हो जायेंगे तथा फलस्वरूप बेरोजगारी होगी ।

घरेलू मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर को देखते हुए सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है । इसके अतिरिक्त शुल्क की घटी हुई दर घड़ी बनाने वाले केवल उन एककों के लिये लागू है जो इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित हैं ।

राजकोट वुस्ट बियरिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से उत्पादन-शुल्क के बारे में अभ्यावेदन

3883. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट वुस्ट बियरिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 11 फरवरी, 1978 को पांच मदों पर उत्पाद शुल्क के बारे में अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एसोसिएशन की मांग स्वीकार कर ली गई है, यदि हां, तो कब, किस प्रकार और उसके क्या कारण है; और

(घ) उत्पाद शुल्क में कितनी रियायत दी गई है और यह कब से दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). जी हां । परन्तु अभ्यावेदन में उल्लिखित पांच मदें लघु एककों द्वारा निर्मित बाल बियरिंग पर (मृदु इस्पात रेसों से) 15-10-1977 से उत्पादनशुल्क की अदायगी से बिना शर्त छूट मंजूर करने के सम्बन्ध में की गयी प्रार्थना के पांच मुद्दे हैं ।

(ग) बाल-बियरिंग (मृदु इस्पात रेसों से) का निर्माण करने वाले लघु-एककों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना संख्या 71/78-के० उ० शु० दिनांक 1-3-78 में संशोधन कर के अधिसूचना स० 88/78-के० उ० शु० दिनांक 30-3-1978 जारी की गई थी ताकि उक्त पिछली अधिसूचना के अन्तर्गत मिलने वाली छूट का लाभ ऐसे बाल-बियरिंग पर भी मिल सके ।

(घ) 1-4-1978 से रोलर बियरिंग, अर्थात सभी प्रकार की बाल अथवा रोलर बियरिंग (जिसमें मृदु इस्पात रेसों से निर्मित बाल बियरिंग भी शामिल हैं), 5 लाख रुपये से अनधिक की निकासी के संबंध में, 1-3-1978 की अधिसूचना संख्या 71/78 के अन्तर्गत छूट की हकदार है बशर्ते उस कि वित्तीय वर्ष के दौरान 15 लाख रुपये से अधिक की निकासी न की गई हो ।

Information to Passengers about change in Flight Schedule

3884. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is obligatory on the part of Airlines to inform their